

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पौड़ी गढ़वाल।

दण्ड वाद संख्या 814 सन् 2022

राज्य बनाम सावन नेगी

थाना कोतवाली पौड़ी जिला पौड़ी

चालानी रिपोर्ट संख्या 333/2022

अंतर्गत धारा मोटर वाहन अधिनियम

वाहन संख्या UK 12F 8817 Motor Cycle

दिनांक: 20.10.2022

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत संस्थित उपरोक्त फौजदारी वाद संख्या में उपरोक्त थाना/कोतवाली द्वारा निरुद्ध बताये गये उपरोक्त वाहन संख्या को प्रार्थी वाहन स्वामी के पक्ष में रिलीज किये जाने की याचना की गई है।

प्रार्थी/वाहन स्वामी की ओर से बताया गया है कि उक्त वाहन को संबंधित थाने द्वारा सीज किया गया है और वाहन संबंधित थाने में निष्प्रयोज्य खड़ा है जिसके खड़े होने से वाहन में क्षति होने की आशंका है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि उपरोक्त वाद से संबंधित चालान अन्तर्गत मोटर वाहन अधिनियम में अभियुक्त जुर्म संस्वीकृति के आधार पर निस्तारित करवा लिया है और जुर्माना न्यायालय में जमा किया जा चुका है।

अतः उपरोक्तानुसार, इस वाद में चालानी प्राधिकारी द्वारा निरुद्ध किया गया वाहन संख्या वाहन संख्या UK 12F 8817 Motor Cycle यदि किसी अन्य वाद में निरुद्ध/वांछित न हो तो वाहन को अविलम्ब वाहन स्वामी के पक्ष में, वाहन स्वामी की पर्याप्त शिनाख्त करने पर अवमुक्त किया जाय।

दिनांक 20.10.2022

(रवि प्रकाश)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पौड़ी गढ़वाल।